पत्र सं0– वि.प्रा. (IV) योजना – 22 / 2020–
बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत 6 (छः) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों को लघु कार्यों के लिए कुल रू. 29,25,000=00 (उनतीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्श 2019–20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा की गई मांग के आधार पर विभागान्तर्गत 6 (छः) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा रा.पो. मुंगेर / जमुई / शिवहर / दरभंगा / सीतामढ़ी एवं नवीन रा. पो. पटना–13 को लघु कार्यों के लिए कुल रू. 29,25,000=00 (उनतीस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्श 2019–20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्र०सं०	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर	500,000.00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई	460,000.00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, शिवहर	500,000.00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा	475,000.00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी	490,000.00
6	नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13	500,000.00
	कुल योग	**2,925,000.00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0106–प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43-2203001050106) के अधीन 27 01 लघु कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकर का अनुमोदन इसी संचिका के पृष्ठ 5 / टि. पर प्राप्त है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 22/ 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 22/ 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 22/ 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, संबंधित पोलिटेकनिक संस्थान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) योजना – 22/ 2020– 1097 /पटना, दिनांक– 19-3-2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/20
सरकार के उप सचिव